कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249
वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 3160 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 07/08/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – आनलाईन प्रस्ताव हरिनगरी–पयां मोटर–मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 1004~~218433~~/2015)।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 3626/12–1 दिनॉक 01.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि हरिनगरी–पयां मोटर–मार्ग से दाबू हड़ाप मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने स्तर से निराकरण कर निम्नाअनुसार प्रेषित किया गया है ।

1	Short narrative of the project does not give adequate information in part	Details nerrrative for the project is given in justification and report my kindly seen.
2	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proplasal online uplodaded on 11.02.2015 by sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A Photo copy of his authority letter is being uplodaded for information.
3	Total period for which forest land to be diverted is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referrenced Dijgital map may kindly seen.
4	Totla period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I	For 50 year has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marded digitally on geo-referrenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designatd place in part I and II. Googal map is not accepatable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsiil Bageshwar A revised Geo-referenced Digital map for Ca is being uploaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.

6	Ownership details, Kharsra number and copy of MOU signed regarding CA site between owner and the user ahency is not uploaded in part I for the area indentified for CA.	The CA proposed in is within apporoved land bank by State Govt and already handed over to Forest Department for administrative control as per D.M letter no 558/XXVI-Ban/2010-11 dated 02.07.2010 /A copy of above letter along with land scheldule and certificate is attached.
7	As par detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I reagading prior appoved case is need to be mentaioned.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya Motor road. Information regarding prior approval is being enclosed herewith.
8	The muck disposal is proposed with in ROW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced google map. The Area for muck dumping site is already included in land schedule of state land as mentioned in item 7of Muck disposal plan.
9	Part II, II, III.IV and V filled in online form in not provided with the hard copy of the proposal.	It wil be provided by State Govt.

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

(एम0बी0सिह)

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

PWD Uttarakhand

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर
e-mail : sepwd_bgr@rediffmail.com

पत्रांक 60/ [illegible] दिनांक 16/1 /2015

—: कार्यालय ज्ञाप :—

ई0 महेन्द्र कुमार, जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत है, को प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव को ऑनलाईन कराने के लिए अधिकृत किया जाता है।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त,लो0नि0वि0,बागेश्वर।
अधीक्षण अभियन्ता
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

पृष्ठांकन / उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– ई0 महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,बागेश्वर।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त,लो0नि0वि0,बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ... विभाग

1.9

Ownership letter

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या :– 71 / र०का /कपकोट/2014–15/दिनांक 09/01/2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खंड,लो०नि०वि०,बागेश्वर।

विषय– वन भूमि प्रस्तावों को on line करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2336/2 ई०व०भू० दिनांक दिसम्बर,22 2014 जो जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित हैं, का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के पृष्ठांकन आदेश सं० 1200/ छब्बीस–वन/2014–15 दि० 24.12. 2014 के क्रम में पत्र में उल्लिखित तहसील कपकोट से सम्बन्धित क.सं. 1, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल की खतौनी राजस्व उप निरीक्षक, कर्मी, लोहारखेत एवं शामा से प्राप्त हैं, संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः उक्तानुसार वांछित खतौनी प्रेषित हैं।

संलग्नक :– 03 किता।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि सहा०

16/1

प्रान्तीय खण्ड ... अधिशासी अभियन्ता

1.9

गैर ज० वि० खतौनी उद्धरण ग्राम - कमलुंगरा पट्टी - बिलखेत तह० - लैंसडौन जनपद - कोटद्वार।

Land Schedule

श्रेणी - ९(3) ख मुमकिन वन -

खाता सं.	नाम खातेदार	क्र० वर्ष	खेत नम्बर	रकबा	विवरण
१०	चीड़ जंगल		१४१	८७॥	
			५४१	३९=	
			५४२	५३।	
			५४३	६५	
			५४४	३५-	
			५४५	२८=	
			५४६	४०॥=	
			५४७	१७।	
			५४८	४३	
			५४९	५७।=	
			५५०	३०।=	
			५५१	४८=	
			५५२	६१॥	
			५५३	४५	
			५५४	४५=	
			५५५	४५॥।	
			११६६	४६।	
			११६७	५०	
			११६८	४६॥।=	
			११६९	६२॥	
			१२००	१६॥-	
			१२०१	५२।≡	
			१२०२	२३=	
			१२०३	२२≡	
			१२२७	१५॥=	
			१२२८	५॥	
			१२२९	२९॥=	कोटद्वार प्रमाणित सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कोटद्वार
	— योग —		२७	१०६५।=	उक्त भूमि जनपद कोटद्वार के घोरगढ़-पयांकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण तदक्षिणार्थ हेतु - 12-12 है० प्रस्तावित किया गया है।

महोदय,

तैयार किया।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.06 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 12.120 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम बगड़ुंगरा तहसील बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में पृष्ट संख्या 26 में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 10 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ख – अन्य वन में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558/ 26– वन / 2010–11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार द्वारा 12.120 हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न– उक्तानुसार

18.4.16

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 6/2041116

1.10

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या.– 558/छब्बीस–वन/2010–11 दिनांक: 02 ~~जून~~ जुलाई 2010

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।।

विषय:– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या– 223/2 ई0व0भू0 दिनांक: 02 जुलाई,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि– 1402.678 है0 की सूचना/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 172/छब्बीस–वन/2008–09 दिनांक: 02 फरवरी,2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या– 759 (1) / xviii (2)/2009 दिनांक: 20 मार्च,2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरूड़ के अन्तर्गत 0.982 है0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है0 भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरूड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या– 552/छब्बीस–वन/2010–11 दिनांक: 29 जून,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

संख्या:–डी0आई0– 1047 /7–1–2006–600(1151)/2005.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग — देहरादून : दिनांक 10, मार्च, 2006.

विषय:– जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पयाँ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:–3731/1जी–1155 (बाग0) दिनांक 03–03–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पयाँ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/150/2005/एफ.सी./2991 दिनांक 20–02–2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 9.80 है0 अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य दल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फॉर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः-जी0आई0:- 1047 /7-1-2006-600(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पय्या मोटर मार्ग का दाबूहड़ाप तक विस्तार हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम–बगडुगरा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल– 12.12 है0

1:50,000

N

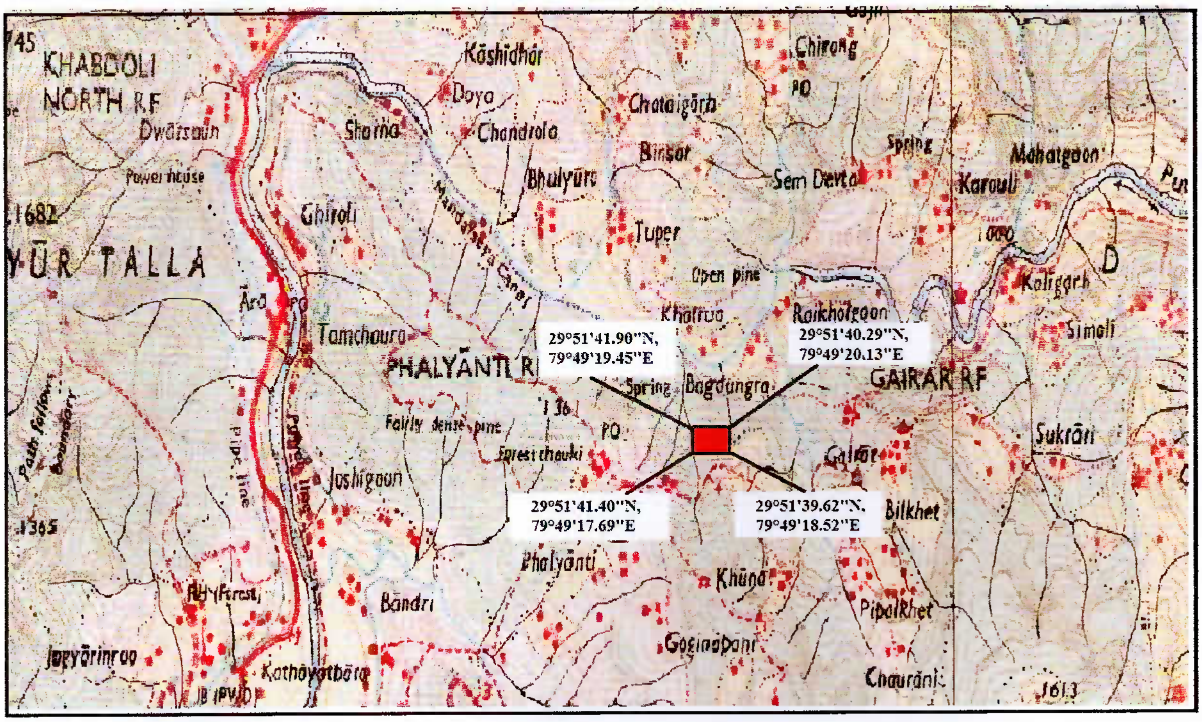

Plantation Site

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर